संख्या- 40 /2021 /505 /चार-2021-11 (बजट)/ 2018

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 10 मार्च, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में गुरू गोरक्षनाथ शोध पीठ के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इकाई प्रभारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के आपको सम्बोधित पत्र संख्या-527/इ0प्र0/गो0 इकाई-3/शोधपीठ/रा0नि0नि0/2019-20 दिनांक 04 मार्च, 2021 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-144 /2018/ 3843/ चार-2018-11(बजट)/2018 दिनांक 28 नवम्बर, 2018 द्वारा रू0 1155.57 लाख + जी0एस0टी0 की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में गुरू गोरक्षनाथ शोध पीठ के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 324.00 लाख (रूपये तीन करोड़ चौबीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु दी गयी उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) शासनादेश संख्या- 144/ 2018/ 3843/ चार-2018- 11(बजट)/ 2018 दिनांक 28 नवम्बर 2018 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24-03-2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0भुगतान के संबंध में सक्षम स्तर से प्रमाणिक प्रपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 92- के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति- 800-अन्य व्यय- 43-पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में निर्माण कार्य-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त स्वीकृति प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 40 /2021 / 505 /चार-2021-11 (बजट)/ 2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- कुलपति, पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- इकाई प्रभारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोरखपुर।
7- उप निदेशक, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर (नोडल आफिसर- संस्कृति)।
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4,
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।